

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

उनावान :- सुरता बनाम ऋषिराज वगै०

मु०न०:- 35/2024

कि०मु०:- दावा

नम्बर व
तारीख
अडकाम
जो इस
हुक्म की
तारीख में
जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थिति। उक्त प्रकरण में पूर्व में वाद पत्र में निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 24.10.2024 को जारी की जा चुकी है। प्रकरण में मुताविक निर्णय व प्राथमिक डिकी व राजस्व अभिलेख के अनुसार जमाबंदी में दर्ज हिस्से कब्जे तथा मीट्स व बाउण्ड के अनुसार उभयपक्षों की उपस्थिति में कुरजात तैयार करने हेतु तहसीलदार सवाई माधोपुर को लिखा गया। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपने पत्र क्रमांक एलआर/2025/1069 दिनांक 19.02.2025 से प्रकरण में तकास्मा स्कीम प्राप्त हुयी है। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 13 की सहखातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम रावल के खाता संख्या 23 में अंकित कृषि भूमि खसरा नं० 1541 रकबा 0.21 है० किस्म बारानी अब्बल खाता संख्या 24 में अंकित कृषि भूमि - खसरा नं० 1251 रकबा 0.10 है० किस्म बारानी- अब्बल, खसरा नं० 1388 रकबा 0.13 है०, ख०न० 1453 रकबा 0.11 है०, ख०न 1454 रकबा 0.13 है०, ख०न० 1551 रकबा 0.05 है०, ख०न० 1837 रकबा 0.05 है०, ख०न० 1838 रकबा 0.17 है०, ख०न० 1968 रकबा 0.26 है०, ख०न० 229 / 3922 रकबा 0.14 है०, ख०न० 230 रकबा 0.13 है०, ख०न० 3124 रकबा 0.17 है०, ख०न० 3280 रकबा 0.04 है०, ख०न० 3281 रकबा 0.08 है०, ख०न० 3283 रकबा 0.18 है०, ख०न० 3696 रकबा 0.10 है०, ख०न० 417 रकबा 0.45 है०, ख०न० 419 रकबा 0.10 है०, ख०न० 435 रकबा 0.30 है०, ख०न० 444 रकबा 0.18 है०, ख०न० 454 रकबा 0.45 है०, ख०न० 513 रकबा 0.20 है०, ख०न० 514 रकबा 0.10 है०, ख०न० 820 रकबा 0.30 है० कुल किंता 23 कुल रकबा 3.92 है० दर्ज हैं। खाता संख्या 471 में अंकित कृषि भूमि - खसरा नं० 2494 रकबा 0.36, ख०न० 2519 रकबा 0.19 है०, खसरा नम्बर 2520 रकबा 0.13 है०, खसरा नम्बर 2594 रकबा 0.10 है० कुल किता 4 कुल रकबा 0.78 है० दर्ज हैं। प्रकरण में वकील प्रतिवादी को बार बार आवाज लगाने पर उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वकील वादी द्वारा तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा प्राप्त तकास्मा स्किम के अनुसार तकास्मा करने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की है। तहसीलदार सवाई माधोपुर से प्राप्त तकास्मा स्किम के अनुसार तकास्मा किया जाना स्वीकार किया जाता है। अतः उक्तानुसार तकास्मा किया जाना न्यायोचित है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर राजस्व ग्राम रावल

नेक्टर
प्र



के खातेदार एवं खसरा नम्बरान में निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाता है कि :-

क. स.	खातेदार का नाम	खाता संख्या	खसरा नंबर	रकबा	
1.	सुरता पुत्री श्याफूल मीना	23	1541 / 1	0.07	
2		471	2494 / 1	0.26	
3			24	1388	0.13
4			417	0.45	
5			444	0.18	
6			1968 / 1	0.08	
7			230	0.13	
8			820 / 1	0.10	
9			454 / 1	0.15	
10			1837	0.05	
	योग	10		1.60	
1	प्रतिवादीगण	23	1541 / 2	0.14	
2		471	2494 / 2	0.10	
3			2519	0.19	
4			2520	0.13	
5			2594	0.10	
6			24	1251	0.10
7				1453	0.11
8				1454	0.13
9				1551	0.05
10				1838	0.17
11				1968 / 2	0.18
12				229 / 3922	0.14
13				3124	0.17
14		3280		0.04	
15		3281		0.08	
16		3283		0.18	
17		3696	0.10		
18		419	0.10		
19		435	0.30		
20		454 / 2	0.30		
21		513	0.20		
22		514	0.10		
23		820 / 2	0.20		
	योग	23		3.31	

उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे। तकास्मा स्किम में प्राप्त नक्शा शीट निर्णय का भाग रहेगा। तदनानुसार अन्तिम डिकी जारी की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला हों। निर्णय आज दिनांक 13/06/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय उप जिला कलेक्टर

स्थान

सवाई माधोपुर



सुरता पुत्री श्योफूल जाति मीना
निवासी रांवल तहसील सवाई
माधोपुर

बनाम

1. ऋषिराज पुत्र रमेश
2. विक्रम पुत्र रमेश
3. विकास पुत्र रमेश
4. कविता पुत्री रमेश
5. शकुन्तला पत्नी रमेश
6. राजराज पुत्र हरफूल
7. हनुमान पुत्र हरफूल
8. केली पुत्र हरफूल
9. जादू पुत्र हरफूल
10. सम्पत पुत्री कंवरपाल
11. सम्पत पुत्री श्योदास
12. सावली पत्नी श्योदास समस्त जातियान
मीना निवासी रांवल तहसील व जिला
सवाई माधोपुर
13. अविनाशी लाल पुत्र हजारीलाल
14. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा
रांवल तहसील सवाई माधोपुर
15. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा
खिलचीपुर तहसील सवाई माधोपुर
16. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई
माधोपुर

नम्बर मुकदमा 35 सन् 2024

वाद पत्र तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 टी एक्ट

वादी की ओर से श्री जगदीश प्रसाद शर्मा एडवो और प्रतिवादीगण की ओर से एक पक्षीय

उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 13/06/2025 को श्री अनूप सिंह (आर.ए.एस) द्वारा अन्तिम निपटारों के लिए पेश होने पर आदेश किया गया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है दीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर निम्नानुसार आदेश दिया है कि :- राजस्व ग्राम रांवल के खातेदार एवं खसरा नम्बरान में निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड त्रुटि किये जाने के आदेश दिया जाता है कि :-

खातेदार का नाम	खाता संख्या	खसरा नंबर	रकबा
सुरता पुत्री श्योफूल मीना	23	1541 / 1	0.07
	471	2494 / 1	0.26
		24	1388
		417	0.45
		444	0.18
		1968 / 1	0.08
		230	0.13
		820 / 1	0.10
		454 / 1	0.15
		1837	0.05
		योग	10
प्रतिवादीगण	23	1541 / 2	0.14
	471	2494 / 2	0.10
		2519	0.19
		2520	0.13
		2594	0.10
	24	1251	0.10
		1453	0.11
	1454	0.13	

	1551	0.05
	1838	0.17
	1968 / 2	0.18
	229 / 3922	0.14
	3124	0.17
	3280	0.04
	3281	0.08
	3283	0.18
	3696	0.10
	419	0.10
	435	0.30
	454 / 2	0.30
	513	0.20
	514	0.10
	820 / 2	0.20
योग	23	3.31

नुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे। तकास्मा स्किम में प्राप्त नक्शा शीट 1 का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना - अपना वहन करें।
 ष्ट के खर्चे लेखें x रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर x प्रतिशत र्श की दर से ब्याज सहित x द्वारा x को दी जाए। यह आज तारीख 1.3/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर र न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

(अनूप सिंह)
 उष जिला कलेक्टर
 सवाई मधोपुर

वाद के खर्च

वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	शाक्ति पद के लिए स्टाम्प	02.00	
शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	0.00	
प्रदेशाके लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	0.00	
प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	0.00	
साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	0.00	
कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	0.00	
आदेशिका की तामील	00	00			
जोड	04.00	00	जोड	02.00	